BSES RAJDHANI

350 लोगों की भीड़ ने 40 सदस्यीय छापेमार टीम पर हमला किया

बीएसईएस कर्मी का सिर फोड़ा, गंभीर चोटें आई

- छापेमारी करने गई एन्फोर्समेंट टीम में बीएसईएस के 17 सदस्य
- सीआईएसएफ के 21 जवान और दिल्ली पुलिस के भी 4 जवान मौजूद
- आरोपियों को 104 किलोवॉट बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा
- एफआईआर दर्ज, 31 लाख का जुर्माना, स्पेशल कोर्ट में केस फाइल

नई दिल्ली, 5 जून, 2007। राजा गार्डन के पास विष्णु गार्डन में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी करने गई बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम पर बिजली चोरों ने हमला कर दिया और बीएसईएस के एक कर्मचारी का सिर फोड़ दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। खास बात यह है कि सीआईएसएफ के 21 जवानों और दिल्ली पुलिस के 4 जवानों की मौजूदगी के बावजूद हमलावरों तेवर में कोई कमी नहीं आई। हमलावरों की संख्या 350 से भी ज्यादा थी।

दरअसल, बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम को यह सूचना मिली कि आरजेड 11/19 (फर्स्ट व सेकेंड फ्लोर), पीपलवाली गली, विष्णु गार्डन निवासी तीन भाई- राजपाल, बलबीर और रघुबीर बिजली चोरी कर कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने छापेमारी की योजना बनाई और उपरोक्त पते पर छापा मारा। यहां आरोपियों को 104 किलोवॉट की बिजली करते रंगे हाथों पकड़ा गया। वे लोग पास से गुजर रही बीएसईएस की तार पर कंटिया लगाकर बिजली की सीधी चोरी कर रहे थे। औद्योगिक इस्मेमाल के लिए बिजली की चोरी की जा रही थी।

मौके पर मौजूद राजपाल यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस की पूरी कोशिश की कि एन्फोर्समेंट टीम वहां छापेमारी न कर पाए। यादव व उनके सहयोगियों ने एन्फोर्समेंट टीम के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार भी किया।

हालांकि पहले वहां इकट्ठा लोगों को सीआईएसएफ ने खदेड़ दिया, लेकिन कुछ ही देर में और ज्यादा संख्या में भीड़ वहां जमा होने लगी। देखते ही देखते 350 से अधिक लोगों की भीड़, हाथों में लाठियां और पत्थर लिए मौके पर इकट्ठी हो गई, और बीएसईएस, सीआईएसएफ व पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में बीएसईएस का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावरों पे उसका सिर फोड़ दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। भीड़ ने सीआईएसएफ व पुलिस के जवानों को उनकी कानूनी ड्यूटी करने से भी रोका।

इस बीच, स्थानीय थाने में आरोपी राजपाल यादव व उनके आदमियों के खिलाफ हमला करने, नुकसान पहुंचाने और सरकारी नौकर के काम में बाधा डालने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। उस पर 31 लाख रूपये का जुर्माना किया गया। और साथ ही, विकासपुरी के स्पेशल कोर्ट में आरोपी के खिलाफ केस फाइल की गई।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस
39999870/ 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस
39999840/ 9350130304